हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग

....

संख्याः ई.डी.एन.–ए.–ख (2)62/2016 तारीख शिमला–2, 27 मार्च, 2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य, (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य, (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग–I (राजपत्रित) और संविधा भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है ।

(2) ये निमय राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगें ।

निरसन और व्यावृत्तियां । 2. (1) अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0–ए0–(ख)3–5/99–लूज तारीख 29 अक्तूबर 2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग सहायक आचार्य, (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग–I (राजपत्रित), संविदा भर्ती और प्रौन्नति नियम, 2010 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप मे की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

डॉ0 अरूण कुमार शर्मा
सचिव(उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या यथोपरि तारीख शिमला'–2, 27–03–2018
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित है :–

1. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. *सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2 ।*
3. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001
4. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
5. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
6. वरिष्ठ विधि अधिकारी (विधि विभाग), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला–2

7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 को हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
8. रक्षक नस्ति ।

(नरेश ठाकुर)
संयुक्त सचिव(उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रौन्नति नियम ।

1. पद का नाम :	सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग)
2. पद (पदों) की संख्या :	2482 (दो हजार चार सौ बयासी) या जैसा कि समय समय पर संशोधित होगी ।
3. वर्गीकरण :	वर्ग– I (राजपत्रित) और संविदा
4. वेतनमान :	(i) नियमित पदधारियों के लिये वेतनमानः पे बैण्डः ₹15600–39100 जमा ₹6000/–ग्रेड पे । (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹21600/– प्रतिमास ।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पदः	लागू नहीं ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु :	18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो उसकी ऐसी वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथितीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है । ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पणीः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद(पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए एथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों)के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	क) अनिवार्य अर्हताएं : (i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सुंसगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, स्तर में कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड या

पचपन प्रतिशत के समतुल्य, जहां कहीं भी श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से इसके समतुल्य उपाधि।

(ii) ललित कला में सहायक आचार्य अर्थात वाणिज्य कला, रेखचित्र और रंगचित्र एवं मूर्तिकला के लिए भी, ललित कला में स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड रखते हों, या पचपन प्रतिशत के समतुल्य, जहां कहीं भी श्रेंणीकरण का अनुसरण किया जाता है ।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के प्रवर्गों के लिए स्नातकोत्तर उपाधि में पांच प्रतिशत (पचपन प्रतिशत से पचास प्रतिशत) की छूट का उपबन्ध है।

और

सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु शारीरिक और दृष्टि विकलांग व्यक्तियों को, स्नातकोत्तर स्तर पर, पांच प्रतिशत, (पचपन प्रतिशत से पचास प्रतिशत) **अंकों** की छूट ।

(iv) उन पी0एच0डी0 उपाधि धारकों को, जिन्होने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि सितम्बर, 1991 से पूर्व उत्तीर्ण की है, पचपन प्रतिशत **अंकों** से पचास प्रतिशत अंको तक पांच प्रतिशत की छूट ।

(v) शब्द ग्रेड ओ0ए0बी0सी0डी0ई0 और एफ0 के साथ सात बिन्दु स्केल में "बी" को पचपन प्रतिशत अंकों के समतुल्य माना जाएगा, जहां कहीं भी श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, (सात बिन्दु स्केल पाद टिप्पण में दर्शाया गया है)।

(vi) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी0एस0आई0आर0 द्वारा संचालित सहायक आचार्य के लिए पात्रता परीक्षा (एन0ई0टी0) या हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यापित समरूप परीक्षा पास की होनी चाहिए ।

(vii) विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी / एसएलईटी कम से कम न्यूनतम पात्रता शर्त रहेगी :

परन्तु यह कि 11 जुलाई 2009 से पूर्व एम. फिल. / पी.एच.डी. प्रोग्राम के लिये रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि का प्रदान किया जाना, उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेशों

/ उप विधियों / विनियमों के उपबन्धों द्वारा प्रशासित किया जायेगा और पी. एच. डी. अभ्यर्थियों को विश्वविद्यायल / महाविद्यालयों / संस्थानों में सहायक आचार्य या समतुल्य पदों पर भर्ती के लिये निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, एन.ई.टी. / एस. एल.ई.टी. / एस.ई.टी. की अपेक्षा से छूट होगी :—

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्वति से पीएचडी डिग्री प्रदान की गई हो ;

(ख) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा पी. एच.डी. शोध का मूल्यांकन किया गया हो ;

(ग) अभ्यर्थी का खुला मौखिक परीक्षा की गई ;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हो जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो ;

(ङ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य पर आधारित सम्मेलनों / संगोष्ठियों में कम से कम दो प्रस्तुतियां दी हों ।

उपरोक्त (क) से (ङ) कुलपति / प्रति कुलपति / संकायाध्यक्ष कार्य कलाप / संकायाध्यक्ष (विश्वविद्यालय अनुदेश) द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।

सहायक आचार्य (शारीरिक शिक्षा) (महाविद्यालय संवर्ग) के पद हेतु

(i) लगातार अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड सहित कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों या बिन्दु स्केल में समतुल्य ग्रेड, जहॉ श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि या खेल विज्ञान में में स्नात्कोत्तर उपाधि ।

(ii) अन्तर्विश्वविद्यालय / अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिताओं या राज्य और / या राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड ।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा प्रयोजन के लिए संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अर्हित की हो ।

(iv) तथापि, अभ्यर्थी जो पी0एच0डी0 उपाधि धारक हैं, या जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी उपाधि

को प्रदान करने हेतु–न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुपालन में, पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है को, सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षा की भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी / एसएलईटी / एसईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त की अपेक्षा से छूट दी जाएगी ।

(v) निम्न उपबंधों के अनुसार संचालित शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण उतीर्ण किया हो :–

शारीरिक उपयुक्ता परीक्षण मानदण्डः–

¼d½ इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, सभी अभ्यर्थियों को, जिन्हे शारीरिक परीक्षण करवाना अपेक्षित है, यह प्रमाणित करते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ऐसे टेस्ट को देने से पूर्व चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हैं ।

¼[k½ उपरोक्त उप–खण्ड (क) में वर्णित ऐसे प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा देनी अपेक्षित होगीः–

पुरूषों के लिये मानदण्ड

12 मिनट की दौड़/पैदल यात्रा परीक्षण			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिय मानदण्ड

08 मिनट की दौड़ / पैदल यात्रा परीक्षण			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

ख) <u>वांछनीय अर्हता(एं) :</u>

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं ।	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हे ।	(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों मे और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें । (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजन और आमेलन की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।
10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / /स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता ।	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति, / प्रतिनियुक्ति, /स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनमें प्रोन्नति, / सैकण्डमैंट, / स्थानांतरण किया जाएगाः	लागू नहीं ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति / स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना ?	(क) विभागीय प्रोन्नति समिति लागू नहीं (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण

/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) / लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश में सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) को ₹ 21,600/– की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक

उपलब्धियों में ₹ 648/– की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) <u>नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः</u>

अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) <u>चयन प्रकियाः</u>

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन साक्षात्कार / व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार / व्यक्तिगत परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) / लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) <u>संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति%</u>

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) <u>करारः</u> अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः

¼d½ संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹21,600/– की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 648/–की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

¼[k½ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवासित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

¼x½ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में

एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचारा किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जायेगा ।

¼?k½ नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

¼3½ संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा / होगी, जहॉ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो ।

¼p½ चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

¼N½ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

¼t½ नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0 आर0 एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

16. आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथासंशोधित, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।
18. शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

———————————————

पाद टिप्पण

सात बिन्दु निर्धारण पैमाने का स्पष्टीकरण

ग्रेड	ग्रेड बिन्दु (पांईट)	समतुल्य प्रतिशतता
"ओ" उत्कृष्ट	5.50-6.00	75-100
"ऐ" अति उत्तम	4.50-5.49	65-74
"बी" उत्तम	3.50-4.49	55-64
"सी" औसत	2.50-3.49	45-54
"डी" औसत से निम्न	1.50-2.49	35-44
"ई" निकृष्ट	0.50-1.49	25-34
"एफ" असफल	0.00-0.49	0-24

____

परिशिष्ट– "II"

सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ———————— (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री.. .... निवासी...,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल, के मध्य, ————————————(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.............................. को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार ने सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) के रूप में.........................से प्रारम्भ होने और.................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्.................. दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत /विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹21600/– प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सहायक आचार्य एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन का विशेष अवकाश का हकदार होगा । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जायेगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले के विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / अरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा / होगी जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह मास से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ साथ ई.पी.एफ. / जी. पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1..
....
....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:

1..
....
....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of Notification No:EDN-A-Kha(2)62/2016 dated 27-03-2018 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
"HIGHER EDUCATION DEPARTMENT"

No: EDN-A-Kha(2)62/2016 Dated Shimla-2, the 27-03- 2018

"NOTIFICATION"

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Assistant Professor (College cadre), Class-I (Gazetted) in the Higher Education Department, H.P. as per Annexure "A" attached to this notification; namely:-

1. Short title and Commencement:
   (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Assistant Professors (College cadre), Class-I (Gazetted) and Contract Recruitment and Promotion Rules, 2017.

   (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings:
   (1) The Himachal Pradesh, Higher Education Department, Assistant Professors (College Cadre), Class-I (Gazetted) and Contract Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide notification No.EDN-A(Kha)3-5/99-Loose dated 29th Oct. 2011 are hereby repealed.

   (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules, so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Order

Dr. Arun Kumar Sharma
Secretary (Hr. Education) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.:As above Dated:Shimla-02, 27-03-2018

Copy for information and necessary action to :-

1. All the Principal Secretaries/Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Secretary, HP Public Service Commission, Shimla-2 w.r.t. to his letter No.1-10/71-PSC-Part dated 05-08-2017 with three additional copies for information and n/a.
3. The Director of Higher Education, HP Shimla-01.

4. The Controller, Printing & Stationery, H.P.Shimla-5 with the request to publish these Rules in Rajpatra (extra-ordinary) and send 10 copies to this Department.
5. ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Govt.of Himachal Pradesh, Shimla-2.
6. The Senior Law Officer (Law Department), HP Govt. Shimla-2.
7. The Guard File.

(Naresh Thakur)
Joint Secretary (Hr.Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh.
email ID-nthakur_78@yahoo.co.in
Telephone No.0177-2628501

<u>Annexure-A</u>

RECREUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR (COLLEGE CADRE), CLASS-I, (GAZETTED) IN THE HIGHER EDUCTION DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH.

1.	**Name of the Post:**	Assistant Professor (College Cadre)
2.	**Number of Post(s):**	2482 (Two thousand four hundred & eighty two) or as amended from time to time.
3.	**Classification :**	Class-I (Gazetted) and Contract
4.	**Scale of Pay:**	i) <u>Pay Scale for regular incumbents</u>: Pay Band ₹ 15,600-39100 + ₹.6000 Grade Pay ii). Emoluments for Contract Employee(s):- ₹ 21,600/- PM as per details given in Col. No. 15-A.
5.	**Whether "Selection" Post or "Non-Selection"** post	Not applicable
6.	**Age for direct recruitment**	**18 to 45 years:**
	Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment; Provided further that upper age limit is relaxable for Schedled Castes/ Schedule Tribes/ Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government; Provided further that the employees of all the Public Sector, Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector/ Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations /Autonomous Bodies and who were/ are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector / Corporations / Autonomous bodies. **Notes:-** Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.	

7	**Minimum Educational and other qualification (s) required for direct recruit(s)**	**a) Essential Qualifications**: **(i)** A good academic record with atleast 55% marks or an equivalent of 55%, wherever the grading system is followed in Masters Degree level in the relevant subject from an Indian University or an equivalent degree from Foreign University recognized by the Government of India. **(ii)** For the Assistant Professor in Fine Arts also i.e. Commercial Arts, Drawing & Painting and Sculpture, Master Degree in Fine Arts having good academic record with 55% marks or equivalent of 55% wherever grading system is followed. **(iii)** A relaxation of 5% is provided (from 55% to 50% marks) at the Masters Degree for the SC/ST/OBC (Non creamy layer) categories. AND A relaxation of 5% (from 55% to 50%) of marks, at the Master's level to the Physically and Visually Handicapped persons in appointment as Assistant Professors. **(iv)** A relaxation of 5% is provided from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders who have passed their Masters degree prior to the September, 1991. **(v)** "B" in the 7 point scale with letter grades O, A, B, C, D, E & F shall be regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed (7 point scale is displayed in the Foot Note) **(vi)** Candidate besides fulfilling the above qualifications should have cleared the eligibility test (NET) for Assistant Professor conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the H.P. Public Service Commission. **(vii)** "NET/SLET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professor in Universities / Colleges / Institutions. Provided that the award of degree to candidates registered for the M.Phil / Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances / Byelaws / Regulations of the Institutions awarding the degree and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of NET / SLET /SET for recruitment and appointment

		of Assistant Professor or equivalent position in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfilment of the following conditions:- a) Ph.D degree of the candidate awarded in regular mode only; b) Evaluation of the Ph.D thesis by at least two external examiners; c) Open Ph.D viva voce of the candidate had been conducted; d) Candidate has published two research papers from his / her Ph.D work out of which at least one must be in a refereed journal; e) Candidate has made at least two presentations in conferrences / seminars, based on his / her Ph.D work. *(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor / Pro-ViceChancellor / Dean (Academic Affairs) / Dean (University instructions).”* **For the post of Assistant Professor of Physical Education (College Cadre)**:- **(i)** A Master’s Degree in Physical Education or Master’s Degree in Sports Science with at least 55% marks or an equivalent grade in a point scale, wherever grading system is followed, with a consistently good academic record. **(ii)** Record of having represented the University / College at the inter-university / inter college competitions or the State and / or national championships. **(iii)** Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. **(iv)** However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET / SLET /SET for recruitment and appointment of Assistant Professor Physical Education. **(v)** Passed the Physical Fitness Test conducted in accordance with the provisions as under:- **PHYSICAL FITNESS TEST NORMS:-** (a) Subject to the provisions of these Regulations, all candidates who are required to undertake the physical fitness test shall be required to produce a medical certificate certifying that he / she is medically fit before undertaking such tests.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(b) On production of such certificate mentioned in sub-clause(a) above, the candidate would be required to undertake the physical fitness in accordance with the following norms:-
NORMS FOR MEN
<table>
<tr><th colspan="4">12 MINUTES RUN / WALK TEST</th></tr>
<tr><td>Up to 30 years</td><td>Up to 40 years</td><td>Up to 45 years</td><td>Up to 50 years</td></tr>
<tr><td>1800 meters</td><td>1500 meters</td><td>1200 meters</td><td>800 meters</td></tr>
<tr><th colspan="4">NORMS FOR WOMEN</th></tr>
<tr><td colspan="4">08 MINUTES RUN / WALK TEST</td></tr>
<tr><td>Up to 30 years</td><td>Up to 40 years</td><td>Up to 45 years</td><td>Up to 50 years</td></tr>
<tr><td>1000 meters</td><td>800 meters</td><td>600 meters</td><td>400 meters</td></tr>
</table>
b) Desirable Qualification(s)
Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Pradesh.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s).</td><td>Age:-Not applicable
Educational Qualification:- Not applicable.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Period of Probation, if any.</td><td>(a)Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b)No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ Secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:</td><td>100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>In case of recruitment by</td><td>Not applicable</td></tr>
</table>

	promotion/ secondment/ transfer/ grade from which promotion / secondment / transfer is to be made.	
12	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?**	(a) <u>Departmental Promotion Committee</u>: Not applicable (b) <u>Department Confirmation Committee</u> As may be constituted by the Government from time to time.
13	**Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.**	As required under the law.
14	**Essential requirement for direct recruitment**	A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.
15	**Selection for appointment to the post by direct recruitment**	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview / personality test, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency / authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview / personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting agency / authority, as the case may be.
15-A	**Selection for appointment to the post by Contract appointment**	Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:- **(I) <u>CONCEPT</u>** **(a)** Under this policy the Assistant Professors, (College Cadre) in the Higher Education Department, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis. Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended. **(b) <u>POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:-</u>** The Addl. Chief Secreatary / Principal Secretary / Secretary (Hr. Education) to the Government of Himachal Pradesh

		after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Public Service Commission. **(c)** The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules. **(II) <u>CONTRACTUAL EMOLUMENTS</u>:** The Assistant Professors, (College Cadre) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹21,600/-PM (which shall be equal to the minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹648/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year. **(III)<u>APPOINTING/DISCIPLINARY/AUTHORITY</u>:** The Addl. Chief Secretary / Principal Secretary/ Secretary (Higher Education) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority. **(IV) <u>SELECTION PROCESS</u>**: Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview / personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview / personality test preceded by a screening (obejctive type) / written test or practical test or physical test, the standard / syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission. **(V) <u>COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS</u>:** As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission, from time to time. **(VI) <u>AGREEMENT</u>** After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules. **(VII) <u>TERMS AND CONDITIONS</u>** **(a)** The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹21,600/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 648/-(3% of minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied

		benefits such as senior/ selection scales etc. will be given. (**b)** The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory. **(c)** The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one-month service, 10 days medical leave and 5 days special leve, in a calander year. A female contract appointee with less than two serviving children may be granted maternity leave of 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for meternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year. **(d)** Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty: Provided that he/she submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government**.** **(e)** An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds. **(f)** Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner. **(g)** Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

		(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16	**Reservation**	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribe / Other Backward Classes / Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	**Departmental Examination**	Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18	**Power to relax**	Where the state Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

FOOTNOTE

Explanation of Seven point Scale

Grade	Grade point	Percentage equivalent
'O' Outstanding	5.50-6.00	75-100
'A' Very Good	4.50-5.49	65-74
'B' Good	3.50-4.49	55-64
'C' Average	2.50-3.49	45-54
'D' Below Average	1.50-2.49	35-44
'E' Poor	0.50-1.49	25-34
'F' Fail	0.00-0.49	0-24

Appendix-II

Form of contract/ agreement to be executed between the Assistant Professor and the Government of Himachal Pradesh through ____________ (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this ________________day of ____________in the year_____________ Between Sh. / Smt. _______________S/o/D/o Shri_____________ R/o ____

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through ________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Professors (College Cadre) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Assistant Professors (College Cadre) for a period of one year commencing on the day of _____________and ending on the day of ____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _______________ and information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension / renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed / extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 21,600/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contractual appointee Assistant Professor will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calander year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Provided that un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate

the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she submit the certificate of illness/fitness issued by the medical officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1------------------------

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2-----------------------------

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

****

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
"HIGHER EDUCATION DEPARTMENT"

No: EDN-A-Kha(2)62/2016 Dated Shimla-2, the 27 March 2018

"NOTIFICATION"

The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order to withdraw the Notification No. EDN-A-Ka(2)62/2016 dated 6-3-2018 and Notification No. EDN-A-Kha(2)62/2016 dated 6-3-2018 with immediate effect issued by this Department regarding Himachal Pradesh, Higher Education Department, Assistant Professors (College cadre), Class-I (Gazetted) and Contract Recruitment and Promotion Rules, 2017.+

By Order

Dr. Arun Kumar Sharma
Secretary (Hr. Education) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.:As above Dated:Shimla-02, 27-03-2018
Copy for information and necessary action to :-

1. All the Principal Secretaries/Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Secretary, HP Public Service Commission, Shimla-2 w.r.t. to his letter No.1-10/71-PSC-Part dated 05-08-2017 with three additional copies for information and n/a.
3. The Director of Higher Education, HP Shimla-01.
4. The Controller, Printing & Stationery, H.P.Shimla-5 with the request to publish these Rules in Rajpatra (extra-ordinary) and send 10 copies to this Department.
5. ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Govt.of Himachal Pradesh, Shimla-2.
6. The Senior Law Officer (Law Department), HP Govt. Shimla-2.
7. The Guard File.

(Naresh Thakur)
Joint Secretary (Hr.Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh.
email ID-nthakur_78@yahoo.co.in
Telephone No.0177-2628501